फर्द अहकाम

ज्ञानाराम बनाम रामू वगै0

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 02/2023

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष, विवरण
	12.01.2023	अधिवक्ता श्री रामसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को पाबंद कराने तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने, विवादग्रस्त भूमि का बेचान रोकने तथा वादी के कब्जे काश्त उपयोग में मजाहमत रोकने बाबत् निवेदन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं शपथ पत्र प्रार्थी से संतुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कि जाती है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 121 रकबा 0.6955 हे0, खसरा नं0 122 रकबा 0.5817 हे0, खसरा नं0 123 रकबा 2.9842 हे0, खसरा नं0 125/2 रकबा 0.0253 हे0, खसरा नं0 125/1 रकबा 11.5828 हे0 वाके ग्राम चारणवास पटवार हल्का भोजपुरा कलां तथा खसरा नं0 39 रकबा 14.7567 हे0 वाके ग्राम बंशीपुरा पटवार हल्का जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर जिला जयपुर राज0की वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें, वादग्रस्त भूमि का विक्रय नहीं करे तथा वादी के हिस्से मे कब्जे, काश्त में मजाहमत नहीं करें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि0 एडी0 नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.02.2023 को पेश हो।	
	22/2/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. राजकीय कार्यवश दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 31/3/23 को पेश हो।	

2/3/23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आशाराम द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है, वादी अपने प्रार्थना पत्र को अब आगे चलाना नहीं चाहता है एवं प्रार्थना पत्र को विड्रो करना चाहता है।

—
आशाराम

सोलाराम बाबा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी का मूल वाद भी विड्रो किया जा चुका है।

जगदीश

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रो करने की अनुमति दी जाती है। तहसीलदार जोबनेर को इस संबंध में तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
02/03/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर